भागवत कथा - 9

नीलिमा गुप्ता (BCA)

यह भी भागवत का एक और प्रकरण है। रीवा की एक कन्या नीलिमा गुप्ता, जो कि पहले से ही ईश्वरीय **ज्ञान** से प्रभावित थी और अपनी पवित्रता की सुरक्षा हेतु अपने-आप को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने का निश्चय कर चुकी थी। परंतु, शादी करवाने की जिद्द पर अड़े हुए उसके माता-पिता ने **उसके** इस निर्णय को ठुकरा दिया और वे उस पर और भी बंधन डालने लगे, ताकि वह ईश्वरीय **ज्ञान** छोड़ दे और शादी कर ले। 22 साल की नीलिमा गुप्ता दिनांक 23-10-2010 को घर छोड़कर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, फ़र्रुखाबाद से जुड़ गई। घर छोड़ते समय ही उसने महिला थाने की थाना इंचार्ज को एक पत्र भेजा, जिसमें बताया कि उसके माता-पिता उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और वह अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल हो रही है।

Bhagawat Story-9

Neelima Gupta:

This is another episode of Bhagawat Story in which a girl Neelima Gupta who was already influenced by the Spiritual Knowledge with undeterred foundation has come to conclusion that in order to maintain Purity, it is inevitable that she should surrender herself for the cause of Godly Service. But her parents remained adamant to get her married; they refused to adhere to her decisions; started to confine her at home and pressurize her for marriage against her wish so that she would leave the knowledge and get married. so, she left home and joined with "AVV family" at Farrukhabad on 23rd October, 2010. Simultaneously she has addressed the in-charge of the Women Police Station , a letter wherein she has made it clear that she was being pressurized by her parents for marriage against her wish and that she joining the "AVV family" at her own will .

नीलिमा के माता-पिता और भाई दिनांक 10-11-2010 को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, दिल्ली में रीवा पुलिस के साथ पहुँचे और नीलिमा को गाली देते हुए, जबरियन उसकी शादी करवाने हेतु अपने साथ घर ले जाने की कोशिश करने लगे। **रीवा** पुलिस जो कि साथ में आई थी, उनके सामने नीलिमा ने अपना बयान दिया कि वह वयस्क है और स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ी है।

The parents of Neelima and her brother reached "AVV" Delhi along with Rewa Police; started accusing her and tried to grab her for the purpose of taking her

along with them and get her married. Neelima has given a statement before the Rewa Police who has followed her parents that she was a major and joined with Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya at her volition.

बेटी को आध्यात्मिक विद्यालय से अलग करके घर वापस लाने की कोशिश में असफल होने **की** वजह से क्रोधित हुए उसके माता-पिता ने **रीवा** जिले के ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्य पवन कुमार कुशवाह और रामराज साहु के ऊपर दिनांक 01-12-2010 को नीलिमा के अपहरण की झूठी एफ.आई.आर. (अ.सं. 228/10) **भा.दं.सं. की धाराओं** 363, 366 **और** 34 **के अंतर्गत फ़ाइल कर दी और दोनों भाइयों को पुलिस द्वारा जेल में डलवा दिया**।

Having annoyed with their failure to get her seperated from Adhyatmik Vidfyalaya and get her back home, her parents lodged a false F.I.R against the AVV family members, Pawan Kumar Kushwah and Ramaraj Sahu (Crime No.228/10) under sections 363,366 and 34 of Crpc on the very first day of December, 2010 claiming that they have kidnapped their daughter. The innocent spiritual brothers were put behind bars.

जिसके प्रतिउत्तर में नीलिमा ने ता.04-12-2010 को रीवा के फर्स्ट क्लास जुडीशियल मैजिस्ट्रेट प्रतिभा सत्वाने के सामने एक ऐफ़िडेविट दिया कि ‘‘वह अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विद्यालय की सेवाओं में ता.25-10-2010 से जुड़ी हुई है और वह पवित्रता का पालन करते हुए, **ईश्वरीय सेवा** करना चाहती है। उसके माता-पिता अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी बेटी अपनी इच्छा से आध्यात्मिक विद्यालय के साथ जुड़ी हुई है और शादी नहीं करना चाहती है’’।

In response, Neelima has filed an affidavit before the Judicial Magistrate Prtibha Satwane, Rewa on 04-12-2010, stating that she has joined the Adhyatmik Vidfyalaya since 25-10-2010 and wishes to extend her services for Godly Service duly maintaining Purity. Her parents know well that their daughter has joined with Adhyatmik Vidfyalaya at her own will and does not want to get married.

नीलिमा के मात-पिता व भाई ने दिनांक 27.11.2010 को विद्यालय में आकर नीलिमा को जान से मारने की धमकी दी व गंदी गाली-गलौज की। अपने माता-पिता व भाई की इन हरकतों से तंग होकर नीलिमा को इस मामले में अपने पिता भगवानदास गुप्ता, माता कुसुम कली गुप्ता और भाई राजीव गुप्ता के विरुद्ध ए.सी.एम.एम. रोहिणी जिला कोर्ट में भा.दं.सं. की धारा 182, 506 और 34 के अंतर्गत ता. 06-12-2010 को कम्प्लेंट केस दाखिल करना पड़ा।

The parents and brother of Neelima came to Vidyalaya on 27-1-2010, abused her and threatened to kill her. Having frustrated by the harassment meted out by her, Neelima was compelled to file a criminal complaint against her own father Bhqawan Das Gupta, mother Kusumkali Gupta and brother Rajiv Gupta on 6th December, 2010 in the court of ACMM, Rohini, Delhi under sections 182 and 506 along with section 34 of Crpc.

ऊपर कही हुई सारी बातों का स्पष्टीकरण देते हुए नीलिमा ने फिर से रीवा के फर्स्ट जुडीशियल मैजिस्ट्रेट प्रतिभा सत्वाने के सामने **ता. 15-03-2011 को एक और पत्र सौंपा**। उसमें यह भी बताया कि उसे उन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के भाइयों के विरुद्ध बयान देने के लिए उसके माता-पिता जबरियन दबाव दे रहे हैं। उसने यहाँ तक भी निवेदन किया कि उसके बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा रिकॉर्ड करें; क्योंकि दिल्ली से रीवा आकर कोर्ट में बयान देने में उसके मात-पिता द्वारा उसकी जान को खतरा है।

Making the above said in clear terms, Neelima has again submitted another letter on 15th March, 2011 before the First Class Judicial Magistrate Pratibha Satwane wherein she has affirmed that her parents are pressuring her to give a statement against the spiritual brothers of Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya . Neelima has further requested to record her statement by video conference for the reason that there would be threat to her life if she has to attend at Rewa Court coming all the way from Delhi for giving statement.

बेकसूर पवन कुमार कुशवाहा व रामराज साहू को लम्बी अवधि के लिए जेल में कैद होकर रहना पड़ा। अंततः केस सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा। अब आगे की बात नीचे **दिए गए** सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुख्य अंश में मौजूद है।

Alas! the innocent brothers Pawan Kumar Kushwah and Ramaraj Sahu had to remain in jail for long term for no fault of them. And finally, the case reached the Supreme Court. The Supreme Court while accepting the version of Neelima Gupta, has ultimately allowed the appeal of the arrested brothers and released them vide its order dated 2nd November, 2012.

‘‘ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,

क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन

क्रिमिनल अपील नं. 1829 / 2012

एस.एल.पी. (क्रिमिनल) नं. 6395 /2012 से जनित

पवन कुमार कुशवाह और अन्य *अपीलेंट*

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य *रिस्पान्डेंट्स*

आदेश सारांश में :-

‘‘यह अपील मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर से पारित हुए आदेश से जनित है, जिस आदेश द्वारा अपीलेंट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल किए गए मिसिलेनिअस क्रिमिनल केस नं. 10923/2011 को अपीलेंट के खिलाफ JMFC, Rewa कोर्ट के समक्ष लंबित एम.जे.सी. नं. 1 /2011 की कार्यवाही को रद्द करने से मना करते हुए निरस्त कर दिया।

कुमारी नीलिमा गुप्ता की माँ और भगवानदास गुप्ता की पत्नी कुसुम कली गुप्ता के द्वारा भा.दं.सं. की धाराएँ 363 और 366 सपठित धारा 34 के अंतर्गत आनंदपुर, जिला रीवा के थाने में की गई रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया गया है।

विवेचक ने शिकायतकर्ता के आरोपों की विवेचना करके रीवा के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जिसमें यह कथित किया है कि रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं उन्होंने कोई भी अपराध को अंजाम देने की बात साबित नहीं होती। लेकिन शिकायतकर्ता ने उक्त रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोटेस्ट पिटिशन दाखिल किया जो कि मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेते हुए स्वीकार किया और अपीलेंट के खिलाफ आदेशिका जारी की गई।

मैजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित होकर अपैलंट्स (पवन कुमार कुशवाह और अन्य) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत जबलपुर हाई कोर्ट के सामने पिटिशन दाखिल की। अपैलंट्स का केस जो हाई

कोर्ट के समक्ष और हमारे समक्ष भी यही रखा गया कि वे पूरी तरह से बेकसूर हैं और कुसुम कली गुप्ता की बेटी कुमारी नीलिमा गुप्ता ने जिस दिन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल होने के लिए अपने घर-परिवार को अपनी स्वेच्छा से छोड़ा था, उस समय वह वयस्क थी।

*हाई कोर्ट के सामने नीलिमा गुप्ता द्वारा **फ़ाइल** किए गए ऐफ़िडेविट में यह कहा गया था कि वह अपनी मर्ज़ी से, किसी अन्य के दबाव के बिना, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के साथ जुड़ गई है। हाई कोर्ट ने इस बयान को अनदेखा करते हुए अपैलंट्स की पिटिशन को निरस्त किया था।*

जब दिनांक 16-08-2012 को यह केस हमारे समक्ष आया और कुमारी नीलिमा गुप्ता व्यक्तिगत रूप से यहाँ पेश हुई और उसने निवेदन किया कि वह लगभग 24 साल की वयस्क है और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्टूडेंट तथा टीचर भी है। उसने आगे यह भी कथन किया कि वह किसी के दबाव के बिना, अपनी मर्ज़ी से आश्रम में रह रही है।

फलस्वरूप, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं और अपीलंट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल किए गए पिटीशन को स्वीकार करते हैं और फर्स्ट क्लास जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, रीवा के समक्ष लंबित कार्यवाही को भी रद्द करते हैं।

अपील अलाउ किया जाता है।''

नई दिल्ली *टी.एस. ठाकुर (जज)*

नवंबर 02, 2012 *फ़कीर मोहम्मद इब्राहीम कलीफ़ुल्ला (जज) ''*

इतना सब-कुछ होने के बाद ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के भाइयों को उनके ऊपर लगे आरोपों से मुक्ति मिली। इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं।

Only after facing so many situations, the spiritual brothers of Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya could get relieved of the allegations imposed on them.

We do not wish to repeat the order of the Supreme Court for the sake of brevity and simply annex the full judgment of the Supreme Court of India for reference; as the judgment itself is very much in English and is also in a brief manner.

The other episodes to continue.

XVI-(अ) 212
पुलिस हिन्दी

1802

प्रतिपूर्ण
पृष्ठ क्रमांक

फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 द. प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत).
FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P. C.)

1. * जिला रीवा * थाना अमरपाटन * वर्ष 2010 * प्र. सू. प. क्र. 228/010 * दिनांक 1/12/10 48
2. (1) * विधान .... धाराएं ....
   (2) * विधान भा.द.वि. .... धाराएं 363, 366, 34 ....
   (3) * विधान x .... धाराएं ....
   (4) * अन्य विधान एवं धाराएं x ....
3. (अ) संदर्भित रोजनामचा क्र. x ....
   (ब) * घटना का दिन शनिवार * दिनांक 23/10/010 * समय 1 बजे दिन
   (स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 1/12/2010 समय 14:00 बजे रो. सा. क्र. 24
4. सूचना का प्रकार : * लिखित/मौखिक ....
5. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी 5 K.M. दक्षिण
   (ब) * घटना स्थल का पता बोदाबाग वार्ड क्र. 9 थाना अमरपाटन
   बीट नं. ....
   (स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना x .... जिला x ....
6. अभियोगी/सूचनाकर्ता :
   (अ) नाम श्रीमती कुसुम कुली गुप्ता
   (ब) पिता/पति/पालक का नाम भगवानदास गुप्ता
   (स) जन्म दिनांक/वर्ष 46 वर्ष
   (द) पासपोर्ट नं. x .... जारी दिनांक .... जारी होने का स्थान .... (इ) राष्ट्रीयता भारतीय
   (क) व्यवसाय गृह कार्य
   (ख) पता बोदाबाग वार्ड क्र. 9 थाना अमरपाटन
7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)
   (1) महेश विश्वकर्मा बोदा बाग
   (2) पूजा विश्वकर्मा - बोदा - बाग
   (3) पवन कुशवाहा निवासी नेहरू नगर रीवा
   (4) राजा भाई (5) मालती बहन दोनों निवासी विन्ध्य विहार कालोनी रीवा
8. अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने में विलम्ब का कारण पुत्री की तलाश करते रहने व आरोपियों की धमकी के भय के कारण से
9. अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)
10. * अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का कुल मूल्य ....
11. * मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो) ....
12. प्रथम सूचना विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

आवेदिका कुसुमकली गुप्ता निवासी बोदाबाग रीवा की लिए आने [illegible] सतीश गुप्ता के साथ उपस्थित
थाना एक [illegible] आवेदन पत्र [illegible] की नकल [illegible] कार्यवाही हेतु थाना अनन्तपुर को प्रेषित
माननीय JMFC धारा 363, 366, 34 IPC का अपराध पाए जाने से पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया
जाता है। आवेदन पत्र की नकल अक्षरशः निम्न है। प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना
अनन्तपुर जिला रीवा (म.प्र.), विषय- मेरी पुत्री नीलिमा गुप्ता (सोनू) उम्र 27 वर्ष को बहला फुसलाकर
अपहरण कर लिए जाने के सम्बन्ध में आवेदन, निवेदन है कि प्रार्थिया श्रीमती कुसुमकली पत्नि स्व.
रमेश गुप्ता निवासी बोदाबाग रीवा थाना अनन्तपुर रीवा की रहने वाली है। यह कि प्रार्थी की बच्ची
सोनू गुप्ता उर्फ नीलिमा गुप्ता आई कम्प्यूटर कालेज में डी.सी.ए. की पढ़ाई कर [illegible] यह कि
सोनू पढ़ाई के लिए घर से चली जाती थी [illegible] मिलने के लिए कुछ लोग आया जाया
करते थे। यह कि बोदाबाग में ही एक विश्वकर्मा परिवार का मकान [illegible] है जो कि [illegible]
मे एम. आई. जी. [illegible] कालोनी [illegible] यह कि [illegible] 28/10/10 को [illegible]
[illegible] दिन [illegible] बच्ची सोनू घर से निकली है। प्रार्थिया द्वारा बच्ची की काफी तलाश की गई
[illegible] सभी जगहों पर तलाश करने [illegible] कोई पता नहीं चल सका है। यह
कि प्रार्थिया की लड़की को कुछ लोगों के द्वारा अपहरण कर ले जाया गया है [illegible]
कि [illegible] इन लोगों से [illegible] तो [illegible] चिन्ता मत करो [illegible]
[illegible] प्रार्थिया को पूर्ण विश्वास है। यह कि [illegible] में भी [illegible] विश्वकर्मा [illegible]
है। [illegible] मोबाइल नंबर 9993468101 [illegible]
है और कहता है कि आप चिन्ता मत करो सोनू मिल जाएगी। पुलिस में रिपोर्ट मत करो।
यह कि (राजा) [illegible] विन्ध्य विहार कालोनी पड़रा [illegible]
और [illegible] जिसका मोबाइल नं. 9202354148 है। यह कि [illegible]
[illegible] बताती है [illegible] विन्ध्य विहार कालोनी, पड़रा [illegible]
[illegible] थी। यह कि मेरी पुत्री सोनू गुप्ता का अपहरण करने वाले व्यक्ति [illegible] विश्वकर्मा
[illegible] विश्वकर्मा, [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] निवासी विन्ध्य विहार कालोनी पड़रा रीवा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन
है कि प्रार्थिया के प्रति [illegible] है। [illegible] परेशान है। [illegible]
द्वारा मेरी बच्ची को अपहरण किया गया है जिनके द्वारा [illegible] है कि पुलिस में
रिपोर्ट करोगे तो तुम्हारी लड़की नहीं मिलेगी। अतः निवेदन है कि उचित वैधानिक
कार्यवाही किए जाने की कृपा की जावे sd- श्रीमती कुसुमकली

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा 363, 366, 34 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा * ---------- को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना ---- स्वयं ---- जिला ----------
को स्थानांतरित किया गया या दं. प्र. सं. की धारा 157 "ब" के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।
अभियोगी/सूचनाकर्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया. इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रदाय की गयी.

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

*(नाम) [illegible] दुबे
*(पद) HC-420
*(नं. यदि है) PS अनन्तपुर

कुसुम कली गुप्ता
अभियोगी/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा.

प्रति, माननीय न्यायालय श्रीमान JMFC रीवा की ओर सूचनार्थ ---- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

बनिशाक्षेमुरी-245-1-1-2010-फार्म 500 बुक्स.

फाम न. १

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा १५४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr.P.C)

1. *जिला - रीवा *थाना - अनंतपुर *वष - २०१० *प्र. सू. प. क्र. - २२८/०१० *दिनांक १/१२/१०

२. (१). *विधान..... धाराएं .....

(२) *विधान - ता. हि. धाराएं - ३६३, ३६६, ३४

(३) *विधान..... धाराएं.....

(४) *अन्य विधान एवं धाराएं.....

३. (अ) संदर्भित रोजनामचा क्र. .....

(ब) *घटना का दिन - शनिवार *दिनांक - २३/१०/०१० *समय - १ बजे दिन

(स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक - १/१२/२०१० *समय - १४:००बजे *रो. सा. क्र. - २४

४. सूचना का प्रकार : *लिखित/मौखिक - मौखिक

५. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी - ५ कि.मी. दक्षिण

(ब) घटना का स्थल - बांदा बाग वाड क्र. ९ थाना अनंतपुर *वीट न. .....

(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार म है तो थाना .....जिला .....

६. अभियोगी/सूचनाकता :

(अ) *नाम - श्रीमती कुसुमकली गुप्ता (ब) पति का नाम - भगवानदास गुप्ता

(स) जन्म/दिनांक/वष - ४६ वष (ड) राष्ट्रीयता - भारतीय (द) पासपोट न. .....

जारी दिनांक .....जारी होने का स्थान .....(क) व्यवसाय - गृहकाय

(ख) पता - बांदा बाग, वाड क्र. ९, थाना अनंतपुर

७. ज्ञात/ अज्ञात/ संदेही/ आरोपी का पूरा विवरण

(१) महेश विश्वकमा - बांदा बाग

(२) पूजा विश्वकमा - बांदा बाग

(३) पवन कुशवाहा, निवासी - नेहरु नगर, रीवा

(४) राजा भाई (५) मालती बहन दोनों निवासी विन्धा विहार कॉलोनी पडरा

८. अभियोगी/सूचनाकता द्वारा सूचना देने म विलम्ब का कारण - पता तलाश करते रहने व आरोपियों को द्वारा दी गई धमकी के डर से

९. अपहृत/संबद्ध सम्पत्ति का सम्पूण विवरण (आवश्यकता अनुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग कर) .....

१०. *अपहृत/संबद्ध सम्पत्ति का कुल मूल्य .....

११ * मग/अकाल मृत्यु सूचना क्र. (यदि हो).....

१२. प्रथम सूचना विवरण (आवश्यकता अनुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग कर)

आवेदिका कुसुमकली गुप्ता निवासी बांदा बाग रीवा को साथ अपने लड़का राजीव गुप्ता के साथ उपस्थित आकार एक गुमशुदा आवेदन पत्र स्वयं को हस्ता. वास्ते कायवाही हेतु थाना म प्रस्तुत की जिसके मजबुन से अपराध धारा ३६३, ३६६, ३४ IPC का घटित पाए जाने से पंजीबद्ध कर विवेचन म लिया जाता है | आवेदन पत्र की नक़ल अक्षाश: जैल नाल्मी है | प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना अनंतपुर, जिला - रीवा (म.प्र.) विषय : मेरी पुत्री नीलिमा गुप्ता(सोनू) उम्र १७ वष को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिए जाने के सम्बन्ध म | महोदय निवेदन है कि प्रार्थिनी श्रीमती कुसुमकली पति भगवानदास गुप्ता निवासी बांदा बाग, थाना अनंतपुर, रीवा की रहने वाली है | यह कि प्रार्थी की बच्ची सोनू गुप्ता उफ नीलिमा गुप्ता सांई कंप्यूटर कालेज म डी.सी.ए. की पढ़ाई कर रही थी | यह की सोनू कुछ समय के लिए घर से चली जाती थी तथा उससे मिलने के लिए कुछ लोग भी आया जाया करते थे | यह कि बांदा बाग म ही एक विश्वकमा किराए के मकान लेकर रहता है | जो कि अपने आप को एल.आई.सी. का कमचारी बताता है | यह कि आज से करीबन एक माह पूव २३/१०/१० को एक बजे दिन से मेरी बच्ची सोनू घर से लापता है | प्रार्थिया अपनी बच्ची को सभी रिश्तेदारियों म तथा उसके आने जाने की तमाम जगहों पर तलाश करती रही लेकिन कोई पता नहीं चल सका है | यह की प्रार्थिया की लड़की को कुछ लोगों के द्वारा गुमराह करके घर से भगा ले जाया गया है | क्योंकि जब भी म उन लोगों से सोनू के बारे म पूछती हूँ तो कहते ह चिंता मत करो मिल जाएगी | प्रार्थिया का पूरा घर परेशान है | यह कि बांदा बाग म ही महेश विश्वकमा किराए से रहता ह | पवन कुशवाहा नेहरु नगर बताया जिसका मोबाइल नंबर ९९९३४६८१०१ है जो कि घर आता है और कहता है आप चंता मत करो सोनू मिल जाएगी | पुलिस म रिपोट मत करो | यह कि राजा भाई विन्ध्य विहार कॉलोनी पडरा,

रीवा जो कि कुछ दिन पुत्री फोन करता था और घर भी आता था जिसका मोबाइल न. ९२००२३४१४८ है | यह कि एक बहन जो कि अपने को मालती बहन बताती है तथा विन्ध्य विहार कॉलोनी पडरा, रीवा जो राजा भाई के साथ आती थी | यह कि मेरी पुत्री सोनू गुप्ता का अपहरण करने वाले संदेही महेश विश्वकमा तथा उसकी पत्नी पूजा विश्वकमा, पवन कुशवाहा नेहरु नगर रीवा तथा राजा भाई, मालती बहन दोनों निवासी विन्ध्य विहार कॉलोनी पडरा, रीवा है | अत; श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिका के पति हाट के मरीज ह | मेरा पूरा परिवार परेशान है | उपरोक्त लोगों के द्वारा मेरी बच्ची को अपहरण किया गया है | जिनके द्वारा धमकी दी जाती है कि पुलिस म रिपोट करने जाओगे तो तुम्हारी लड़की नहीं मिलेगी | अत: विनय है कि उचित वैधानिक कायवाही की जाने की कृपा की जाए | Sd/- श्रीमती कुसुमकली |

१३. कायवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा ३६३, ३६६, ३४ IPC का प्रकरण पंजीबद्ध का विवेचना म लिया गया/नहीं लिया गया तथा स्वयं I। को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना..... जिला..... को स्थानार्तरित किया गया या द.प्र.स. की धरा १५७ 'ब' के अंतगत कायवाही की गई | अभियोगी सूचनाकता को प्रथम सू.प. पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही सही अभिलिखित होना स्वीकार किया | इसकी एक प्रतिलिपि अभिकता को नि:शुल्क प्रदान की गई |

Sd/- हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

अभियोगी/सूचनाकता के हस्ताक्षर नाम- रामविलास दुबे

पद- HC 420

न. यदि है -पुलिस स्टेशन अनंतपुर

प्रति, माननीय श्रीमान JMFC, रीवा को ओर सूचनाकता की ओर सूचनाथ अग्रेषित

.....

उनिशाक्षेमुरी -२४५-१-१-२०१०-फासे ५०० बुक्स

ITEM NO.44 Court No.10 SECTION IIA

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A 830970

RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl) No(s).6395/2012

(From the judgement and order dated 12/04/2012 in MCRC No.10923/2011, of The HIGH COURT OF M.P AT JABALPUR)

PAWAN KUMAR KUSHWAHA & ORS. Petitioner(s)

VERSUS

STATE OF M.P.& ORS. Respondent(s)

(With appln(s) for exemption from filing O.T.,stay and office report))

Date: 02/11/2012 This Petition was called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE T.S. THAKUR
HON'BLE MR. JUSTICE FAKKIR MOHAMED IBRAHIM KALIFULLA

For Petitioner(s) Mr. Shailendra Bhardwaj,Adv
Ms. Aroma S.Bhardwaj, Adv.

For Respondent(s) Ms. Vibha Datta Makhija,Adv

For RR Nos. 3,4 Mr. Vikas Upadhayay, Adv.
Mr. K.K.Shukla, Adv.

Certified to be true copy
Assistant Registrar (Jud.)
12.12.12
Supreme Court of India

UPON hearing counsel the Court made the following

O R D E R

Leave granted.

The appeal is allowed and disposed of in terms of the signed order.

sd/-
(Shashi Sareen)
Court Master

sd/-
(Madhu Sudan)
Court Master

(Signed order is placed on the file)

830971

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPEAL No. 1829 OF 2012
(Arising out of SLP(Crl.) No. 6395 of 2012)

PAWAN KUMAR KUSHWAHA & ORS. ... Appellant(s)

Versus

STATE OF M.P. & ORS. ... Respondent(s)

Certified to be true copy
Assistant Registrar (Crl.)
12-12-12
Supreme Court of India

O R D E R

Leave granted.

This appeal arises out of an order passed by the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur whereby Miscellaneous Criminal Case No. 10923 of 2011 filed by the appellants under Section 482, Cr.P.C. has been dismissed thereby refusing to quash the proceedings pending against the appellants in MJC No. 1 of 2011 pending before the JMFC, Rewa.

On the basis of the report lodged by the mother, Kusumkali Gupta w/o Shri Bhagwan Das Gupta and mother of Ms. Neelima Gupta a case under sections 363 and 366 read with Section 34, I.P.C. was registered at police Station, Anandpur, District, Rewa. Investigation conducted into the allegations made by the complainant culminated in the Investigating officer filing a closure report before the

Judicial Magistrate, Ist Class at Rewa stating that no offence was proved to have been committed by the persons named in the report. The complainant however was dissatisfied with the said report and appears to have filed a protest petition before the Magistrate which was allowed by the Magistrate who took cognizance of the offence mentioned above and issued process against the appellants herein.

Aggrieved by the order of the Magistrate, the appellants filed a petition under Section 482, Cr.P.C. before the High Court at Jabalpur. The case of the appellants in the said petition as also before us is that they are totally innocent and that Ms. Neelima Gupta daughter of Smt. Kusumkali Gupta is and was a major on the date she out of her will left her home and family to join the Adhyatmaik Ishwariya Vishvavidyalaya Ashram, Farrukhabad (U.P.). Reliance in support of that contention was placed upon an affidavit filed by Ms. Neelima Gupta before the High Court stating that she had joined the above organisation on her own and without any duress or inducement whatsoever from any quarter. The High Court notwithstanding the statement of Ms. Neelima Gupta declined to interfere with the ongoing proceedings before the Magistrate and dismissed the petition field by the appellants. The High Court all the same held that the search warrants issued by the Magistrate against Ms. Neelima Gupta cannot be sustained and that a notice ought to be ssued to her in the fist instance to appear

before the Magistrate as a witness to get her statement recorded. In case she failed to respond to the notice the Magistrate could pass fresh orders for a search warrant for her production. The present appeal assails the correctness of the above order to the extent the same refused to quash the proceedings notwithstanding the fact that the alleged victim was a major and had made a statement that she had joined the organisation mentioned earlier of her own free will.

When the matter came up before us on 16.08.2012 Ms. Neelima Gupta also appeared in person and submitted that she is a major being around 24 years old and a student/teacher in Adhyatmaik Ishwariya Vishvavidyalaya, Delhi. She further stated that she was living in the Institute without any restraint or coercion from any quarter. We had on that statement summoned respondent nos. 3 and 4 who happen to be the parents of Ms. Neelima Gupta to appear in person. In response to the said direction, the complainant Ms. Kusumkali Gupta has appeared in person who submits that her daughter has been taken away from her by the appellants without her consent and that no information regarding her whereabouts was made available to her till search warrants are issued for her production in the court. Mr. Shailender Bhardwaj who appears for the complainant Mrs. Kusumkali Gupta however argued that while Ms. Neelima Gupta has made a statement which has been separately recorded by us today to the effect that she has joined the organisation on her own

will and that while she wishes to continue with the organisation, this court could pass appropriate orders directing the Ashram to provide visiting rights to the parents and siblings of Ms. Neelima Gupta so that they remain reassured about her safety and security.

Mr. Shailendra Gupta who appears for the appellants as also the Ashram though not a party in these proceedings submits on instructions that the Ashram authorities will at all time facilitate a meeting between Neelima Gupta and her parents/siblings and also keep the parents informed about her whereabouts. It is submitted by learned counsel that while Ms. Neelima Gupta may be in Delhi Ashram for the present she can be transferred to some other Ashram for services in which event her latest address and whereabouts shall be duly posted to the parents to enable them to visit her, if so advised at the said centre. That submission should in our opinion suffice especially when we have no manner of doubt that Ms. Neelima Gupta is a major and in terms of the statement recorded by us today she has unequivocally stated that she had left home to join the Ashram aforementioned without any duress or inducement from any quarter whatsoever.

In the circumstances set out above, continuance of the prosecution against the appellants who claim to be workers and devotees of the Ashram do not appear to be serving any useful purpose. we are, therefore, inclined to quash the proceedings with appropriate directions.

In the result we allow this appeal set aside the order passed by the High Court and allow the petition filed by the appellants under Section 482, Cr.P.C. and quash the proceedings pending against the appellants before JMC 1st Class, Rewa. We however direct that in keeping with the statement and assurance given to the court on its behalf the Ashram authorities shall keep the parents of Ms. Neelima Gupta informed about the place of her posting in different centres and also facilitate a meeting between the parents/siblings and Neelima Gupta as and when a request to that effect is made to the Ashram.

Ms. Neelima Gupta submits that she will withdraw the case filed by her against her parents which is presently pending in the court at Rohini court. Needful shall be done by her within six weeks from today.

The appeal is allowed and disposed of with the above observations.

Sd/-
..............................J.
(T.S.THAKUR)

Sd/-
..............................J.
(FAKKIR MOHAMED IBRAHIM KALIFULLA)

New Delhi,
November 02,2012